


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषय:— ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन फसली ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने बाबत।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(3) आ.प्र.एवं सआ/ओला./2016/4248-268 दिनांक 27.04.2016 द्वारा राज्य के 11 जिले अलवर, बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली एवं नागौर की 22 तहसीलो के 303 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

अतः अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन फसली ऋणों को काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किये के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित कराने का श्रम करावे।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


28/4/16
(रोहित कुमार)
शासन सचिव

शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राजस्थान जयपुर।

एफ 1(3)आ.प्र.एवं सहा./ओला./2016/4484
जयपुर दिनांक 30.04.2016